कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Email:-dfo_pauri_uta@yahoo.co.in , Fax no:-01368-222215

पत्रॉकः– 1388 / /12-1 : दिनॉकः पौड़ी, माह, अक्टूबर,27 2021

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

प्रस्ताव सं0– **FP/UK/ROAD/143512/2021**

विषय– **जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड–जयहरीखाल में वड्डा मोटर मार्ग के किमी0 6 से मलारा बड़ा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।**

सन्दर्भः– आपकी पत्र सं0 523/12–1, दिनांक 21.08.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रस्ताव में लगाई आपत्तियों का प्रस्तावक विभाग तथा इस वन प्रभाग द्वारा निराकरण निम्न प्रकार से कर दिया गया हैः–

S. No	प्रश्न	उत्तरालेख
1	प्रस्ताव की हार्ड कापी में एस0ओ0पी0 के अनुसार प्रपत्रों के कमांक सही अंकित नहीं किये गये हैं।	प्रस्तावक विभाग ने अपने पत्रांक 2249/21 सी0, दिनांक 06.09.2021 द्वारा इस कार्यालय को लिखा गया है कि प्रस्ताव नई एस0ओ0पी0 के आने से पूर्व ही गठित किया जा चुका था एवं आन लाईन अपलोड किया जा चुका है। पुरानी एस0ओ0पी0 के अनुसार ही प्रपत्रों के कमांक हैं।
2	प्रस्ताव में प्रपत्र–1 प्रतिवेदन (परियोजना के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण) संलग्न नहीं है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव में एस0ओ0पी0 के अनुसार प्रतिवेदन के स्थान पर नोट फॉर जस्टीफिकेशन प्रारूप 11 पृष्ठ संख्या–18 में संलग्न है।
3	प्रपत्र–8 वैकल्पिक संरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा वैकल्पिक संरेखणों को निरस्त किये जाने प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के प्रारूप–12 के पृष्ठ संख्या 19 से 22 तक संलग्न किया गया है।
4	प्रपत्र 2 (परिशिष्ठ) एवं प्रपत्र 2.1 (भाग–II) में दिनांक अंकित नहीं है।	प्रपत्र–2 (परिशिष्ठ) एवं प्रपत्र 2.1 (भाग–II) में दिनांक अंकित कर दी गई है।
5	प्रस्ताव में विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण व उनके निरस्त किये जाने संबंधी प्रमाण पत्र (प्रपत्र–9) (आप द्वारा प्रेषित प्रारूप 13) में वृक्षों के तुलनात्मक विवरण में प्रथम संरेखण में वृक्षों की संख्या 19 तथा द्वितीय संरेखण में भी 19 वृक्ष प्रभावित होने लिखा गया है जबकि संयुक्त निरीक्षण में प्रथम संमरेखण में वृक्षों की सं0 19 तथा द्वितीय संरेखण में 28 वृक्षों को प्रभावित होने की सूचना आंकित की गई है के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग ने अपने उपरोक्त पत्र के द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण व उनके निरस्त किये जाने संबंधी प्रमाण–पत्र प्रारूप–13 में वृक्षों के तुलनात्मक विवरण में प्रथम सरेखण का चयन किया गया है जिसमें प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 19 है एवं द्वितीय सरेखण मैरिट के आधार पर निरस्त है। जिसमें प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 28 है।
6	प्रपत्र 37 रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न नहीं है।	प्रपत्र–37 में रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव में संलग्न कर दिये गये हैं।

अतः वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ऑन लाईन कर आपको अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है। आपके सुलभ सन्दर्भ हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लैन्सडौन (गढ़वाल) के पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

संलग्नकः– प्रस्ताव की चार प्रतियॉं।

भवदीय,

(मुकेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0,लैन्सडौन(गढ़वाल)।

E Mail ID :- eepwdlansdowne @gmail.com. & eepwdlansdowne@rediffmail.com. Phone/Fax : (01386)262260

पत्रांक 2249 /21 सी. दि0 6.9.2021

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग
पौड़ी गढ़वाल।

विषय :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड जयहरीखाल में वड्डा मोटर मार्ग के किमी0 6 से मलारा बड़ा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

सदर्भ :- प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/143512/2021 एंव वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त पौड़ी का कार्यालय पत्रांक 523/12-1 दिनांक पौड़ी अगस्त 21,2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सदंर्भित पत्र के क्रम में 6 बिन्दुओं की आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार है।

1. प्रस्ताव नई एस0ओ0पी0 के आने से पूर्व ही गठित एवं हस्ताक्षरित किया जा चुका था एवं आनलाईन अपलोड किया जा चुका है व पुरानी एस0ओ0पी0 अनुसार ही प्रपत्रों के क्रमांक है।
2. प्रस्ताव में एस0ओ0पी0 के अनुसार प्रतिवेदन के स्थान पर नोट फॉर जस्टिफीकेशन प्रारूप 11 पृष्ठ संख्या 18 पर संलग्न है। प्रतिवेदन के नाम से एस0ओ0पी0 में कोई प्रारूप नही है।
3. वैकल्पिक संरेखणो को निरस्त किये जाने का प्रमाण पत्र प्रारूप 13 पृष्ठ संख्या 21 एवं 22 में पूर्व ही संलग्न है।
4. प्रारूप 2 भाग -1 में तिथि अंकित कर दी गयी है। भाग -2 में आपके कार्यालय द्वारा तिथि अंकित की जानी है।
5. प्रस्ताव में विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण व उनके निरस्त किये जाने सम्बंधी प्रमाण पत्र प्रारूप 13 में वृक्षो के तुलनात्मक विवरण में प्रथम सरेखण का चयन किया गया है जिसमें प्रभावित होने वाले वृक्षो की संख्या 19 है, एवं द्वितीय सरेखण मैरिट के आधार पर निरस्त है जिसमें प्रभावित होने वाले वृक्षो की संख्या 28 है जिसे ठीक कर दिया गया है।
6. इस बिन्दु का निराकरण आपके कार्यालय द्वारा किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु अग्रसारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
6/09/2021
अधिशासी अभियंता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0
लैन्सडौन (गढ़वाल)

पत्रांक / दि0

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित
प्रतिलिपि :- वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी को संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता 12 वॉ वृत्त,लो0नि0वि0 पौड़ी को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि :- सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता प्रा0ख0,लो0नि0वि0 लैन्सडौन को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियंता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0
लैन्सडौन (गढ़वाल)

Amin 163

Scanned by CamScanner